Ph.No. 0151 - 2543419 (O),
2549348 (Fax)
2240380 (Res.)
09414138211 (M)
Email: vcrajuvas@gmail.com

RAJASTHAN UNIVERSITY OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES, BIKANER

Prof. A.K. Gahlot
Vice-Chancellor

प्रथम अपील संख्या 60/2014

श्री दीप सिंह .....अपीलार्थी

बनाम

कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर ..... उत्तरदाता

उपस्थितिः–

(1) **अपीलार्थी– श्री दीप सिंह उपस्थित।**

(2) **उत्तरदाता– डॉ. राकेश राव, कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजूवास, बीकानेर।**

दिनांक 24.11.2014

निर्णय

अपीलार्थी श्री दीप सिंह द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं कुलसचिव, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के समक्ष दिनांक 22.08.2014 को सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचनाएं प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो कि लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में दिनांक 26.08.2014 को प्राप्त हुआ। कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के पत्र एफ. (472)/राजूवास/रजि/आर.टी.आई./2014/317 दिनांक 22.09.2014 से अपीलार्थी द्वारा सूचना प्राप्ति हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के क्रम में देय सूचनाओं का निर्धारण किया जाकर 24 रू. शुल्क भिजवाने हेतु सूचित किया गया जिस पर अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र दिनांक 26.09.2014 से, जो कि लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में दिनांक 30.09.2014 को प्राप्त हुआ, वांछित शुल्क भिजवाया गया। तत्पश्चात् कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी के पत्र क्रमांक एफ.(472)राजूवास/रजि./आर.टी.आई./324 दिनांक 01.10.2014 से अपीलार्थी को सूचना के संबंध में देय दस्तावेजो के साथ प्रत्युत्तर प्रेषित कर अपीलार्थी द्वारा सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 22.08.2014 का निस्तारण किया गया।

अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना तथा उसके क्रम में लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर का विवरण निम्नानुसार हैः–

Contd.

क्र. सं.	वांछित सूचना	प्रत्युत्तर/सूचना
1	राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के अधीनस्थ पशुधन अनुसंधान केन्द्र, चांधन, जैसलमेर में मैंसर्स सलीम राजू, भूट्टो का बास, बीकानेर सेवा प्रदात्ता ऐजेंसी द्वारा कार्यरत कार्मिकों/श्रमिकों की निम्न तालिका मे सूची दिलवाने का श्रम करावें।	बिन्दु सं. 1 से 3 में वांछित सूचना के क्रम में लेख है प्रार्थना पत्र में वर्णित किए गए प्रारूप में तथा प्रारूप में वर्णित की गयी विषय वस्तु के संबंध में विश्वविद्यालय में संधारित अभिलेखों में सूचना संधारित नही की जाती अतः वांछित सूचना उपलब्ध करवायी जानी संभव नहीं है। आप द्वारा वर्णित प्रारूप के कॉलमों से वांछित सूचना के क्रम में बिन्दुवार प्रत्युत्तर निम्नानुसार है :–
2	राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के अधीनस्थ पशुपालन डिप्लोमा संस्थान, सीवीएएस, बीकानेर तथा पशुपालन डिप्लोमा 51, एल.आर.एस., चांदन, जैसलमेर में मैंसर्स सलीम राजू, भूट्टो का बास, बीकानेर सेवा प्रदात्ता ऐजेंसी द्वारा कार्यरत कार्मिकों की निम्न तालिका मे सूची में दिलवाने का श्रम करावें।	
3	राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के अधीनस्थ कार्यालय कुलपति सचिवालय, कुलसचिव, वित्तनियंत्रक, अधीष्ठाता (डीन–बीकानेर) व निदेशक अनुसंधान (कार्य) कार्यालय में मैंसर्स सलीम राजू, भूट्टो का बास, बीकानेर सेवा प्रदात्ता ऐजेंसी द्वारा कार्यरत कार्मिकों की निम्न तालिका मे सूची दिलवाने का श्रम करावें।	

(वर्ष 2011–12 से 2013–14 तक सूचना तालिका के अनुसार विवरण)

1	कार्मिको का नाम	1. सेवा प्रदात्ता ऐजेंसी द्वारा कार्य की आवश्यकता अनुसार विश्वविद्यालय में संविदा की शर्तो अनुसार मानव संसाधन उपलब्ध करवाया जाता है। सेवा प्रदात्ता द्वारा उपलब्ध करवाए गए कार्मिकों के नामों से संबधित कोई अभिलेख विश्वविद्यालय में संधारित नहीं किया जाता। क्योंकि इन कार्मिकों को भुगतान भी सेवा प्रदात्ता द्वारा किया जाता है।
2	स्वीकृत कार्मिकों के पदों का नाम	2. प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दु अस्पष्ट एवं भ्रामक है। सेवा प्रदात्ता द्वारा कार्य संधारण हेतु उपलब्ध करवाये जाने वाले मानव संसाधन हेतु पदों के स्वीकृत होने जैसी कोई व्यवस्था लागू ही नहीं होती है। अतः इस प्रकार के कार्मिकों के पदों के नाम से कोई सूचना विश्वविद्यालय अभिलेखों में संधारित ही नही की जाती है।
3	स्वीकृत पदों पर किस–किस माह से	3. सेवा प्रदात्ता ऐजेंसी के माध्यम से

			(बिन्दु–2) कोई कार्मिक कार्यरत नहीं है अतः वांछित सूचना विश्वविद्यालय अभिलेखों का भाग नहीं है।
	4	पदों के अनुसार माहवार मासिक वेतन का विवरण	4. सेवा प्रदात्ता की ओर से उपलब्ध करवाए गए कार्मिकों को स्वयं सेवा प्रदात्ता द्वारा ही भुगतान किया जाता है सेवा प्रदात्ता द्वारा उपलब्ध करवाए कार्मिकों को पदवार मासिक वेतन प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः इस सबंध में कोई अभिलेख संधारित नहीं किया जाता।
	5	माहवार ऐजेंसी द्वारा प्रस्तुत बिलों की प्रमाणित प्रति। या ऐजेंसी को भुगतान किये गये राशि का विवरण (पदो के अनुसार)	5. सेवा प्रदात्ता द्वारा न तो पदवार बिल प्रस्तुत किए जाते है और न ही पदवार भुगतान किया जाता। अतः आप द्वारा चाही गयी सूचना अभिलेखों का भाग नहीं है।
	6	सेवा समाप्त कार्मिकों, पदो का नाम व दिनांक तथा स्वीकृत पदो की सेवा समाप्त कार्मिक/पद की आदेश की प्रति	6. प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दु अस्पष्ट एवं भ्रामक है। सेवा प्रदात्ता द्वारा उपलब्ध करवाये गये मानव संसाधन की सेवा समाप्ति जैसा कोई प्रावधान नहीं है।
	7	पदों के अनुसार कार्मिको के माहवार वेतन मे से पी.एफ कटौती/पी.एफ. नम्बर एवं अन्य कटौति राशि का विवरण	7. एजेंसी के माध्यम से कार्यरत व्यक्तियों को विश्वविद्यालय द्वारा मासिक वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है अतः विश्वविद्यालय द्वारा पी.एफ. आदि किसी प्रकार की कोई कटौती का प्रश्न ही नहीं है।
4	वर्ष 2011–12 से 2013–14 तक राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर में मैसर्स सलीम राजू, भूट्टो का बास, बीकानेर सेवादाता ऐजेंसी के मध्य कार्य सम्पादन हेतु (करार पत्र) अनुबंध की प्रमाणित प्रति दिलवाने का श्रम करावें।		वांछित सूचना के संबंध में कुल 7 पृष्ठ होते है।
5	वर्ष 2011–12 से 2013–14 तक राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर में मैसर्स सलीम राजू भूट्टो का बास, बीकानेर सेवादाता ऐजेंसी के श्रम विभाग में पंजिकृत होने का रजिस्ट्रेशन नम्बर व दिनांक उसकी पंजीयन प्रमाण पत्र तथा कुशल व अकुशल कार्मिकों की पंजिकृत संख्या व नाम सहित सूचना दिलवाने का श्रम करावें।		आप द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से सूचना की प्रमाणित प्रति चाही गई है जबकि सेवा प्रदात्ता एजेंसी का श्रम विभाग में पंजीकरण होने का रजिस्ट्रेशन नं. एवं दिनांक तथा पंजीयन प्रमाण पत्र से संबधित मूल दस्तावेज विश्वविद्यालय अभिलेखों में उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवायी जानी संभव नहीं है।
6	वर्ष 2011–12 से 2013–14 तक राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर		आप द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से सूचना की प्रमाणित प्रति चाही गई है

	सेवादाता ऐजेंसी के ई.एस.आई. व ई.पी.एफ. रजिस्ट्रेशन नम्बर व दिनांक की प्रमाणित प्रति दिलवाने का श्रम करावें।	विभाग में पंजीकरण होने का रजिस्ट्रेशन नं. एवं दिनांक तथा पंजीयन प्रमाण पत्र से संबधित मूल दस्तावेज विश्वविद्यालय अभिलेखों में उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवायी जानी संभव नहीं है।
7	वर्ष 2011–12 से 2013–14 तक राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के अधीनस्थ कार्यालय कुलपति सचिवालय, कुलसचिव, वित्तनियंत्रक, अधीष्ठाता (डीन–बीकानेर) निदेशक अनुसंधान (कार्य) एवं एल.आर.एस. चांदन कार्यालय में मैसर्स सलीम राजू भुट्टों का बास, बीकानेर (सेवा प्रदात्ता एजेंसी) द्वारा कार्यरत कार्मिकों को विश्वविद्यालय के उक्त कार्यालय द्वारा स्वीकृत पदों पर कार्मिकों को कार्य सम्पादन हेतु कार्यालय स्तर से कार्यालय आदेश, अनुभव प्रमाण पत्र व अतिरिक्त कार्यभार के आदेश इत्यादि की प्रमाणित प्रति दिलवाने का श्रम करावें।	वांछित सूचना के क्रम में लेख है कि विश्वविद्यालय में पद राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए है। प्रार्थना पत्र में वर्णित कार्यालयों द्वारा कोई पद स्वीकृत नहीं किए गए है चूंकि प्रार्थना पत्र में वर्णित कार्यालयों द्वारा कोई पद स्वीकृत ही नहीं किये गये है अतः ऐसे पदों पर सेवा प्रदात्ता ऐजेंसी के माध्यम से कार्मिक भी कार्यरत नहीं है इस कारण वांछित सूचना विश्वविद्यालय अभिलेखों का भाग नहीं है। इसके अलावा भी यह उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय में स्वीकृत पदों पर सेवा प्रदात्ता एजेंसी के माध्यम से कोई कार्मिक कार्यरत नहीं है। जहॉ तक अन्य व्यक्तियों के अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति उपलब्ध करवाये जाने के संबध में **सिविल अपील 6362/13 (एस.एल.पी. सं. 16870/2012) Union Pubilic Service Commision V/s Gourhari Kamila** तथा तीन अन्य अपीलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित समेकित निर्णय दिनांक 06.08.2013 से उत्तरदाता के सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के निस्तारण में UPSC द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर को विधि सम्मत माना, जिसमें अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(e) तथा 8(1)(j) के प्रावधानों अनुसार उपलबध नहीं करवायी गयी। चूंकि आप द्वारा भी अन्य व्यक्तियों के अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतियां चाही गई है अतः आपके प्रकरण में माननीय सर्वोच्च द्वारा उपरोक्त प्रकरण में पारित निर्णय से प्रतिपादित सिद्धान्त पूर्णतः लागू होता है। तदानुसार वांछित अनुभव प्रमाण पत्रों की प्रतियां दी जानी संभव नहीं है। विश्वविद्यालय की विभिन्न इकाईयों में सेवा प्रदात्ता ऐजेंसी द्वारा

		है। संबंधित इकाई के प्रभारी अधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार एवं शर्तो के अनुसार कार्य लिया जाता है इस हेतु आवश्यकतानुसार आदेश दिए जा सकते है इस आधार पर वांछित सूचना का स्वरूप व्यापक हो जाता है जो कि ऐसे किसी आदेश की विशिष्टियों (Specification) का उल्लेख किये बिना वांछित सूचना उपलब्ध करवायी जानी संभव नही है।
8	वर्ष 2011–12 से 2013–14 तक राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के अधीनस्थ कार्यालय कुलपति सचिवालय, कुलसचिव, वित्तनियंत्रक, अधीष्ठाता (डीन–बीकानेर) निदेशक अनुसंधान (कार्य) एवं एल.आर.एस. चांदन कार्यालय में मैसर्स सलीम राजू भुट्टों का बास, बीकानेर (सेवा प्रदात्ता एजेंसी) द्वारा कार्य सम्पादन हेतु कार्यरत कार्मिको को विश्वविद्यालय ने अपने स्तर पर संविदा आधार पर नियुक्त किया गया है तो उन कार्मिकों के आदेशों की प्रमाणित प्रति तथा संविदा आधार पर नियुक्त करने की प्रक्रिया के नियम व आदेशों की प्रमाणित प्रति दिलवाने का श्रम करावें।	वांछित सूचना के क्रम में लेख है कि मै. सलीम राजू, भुट्टों का बास, बीकानेर सेवा प्रदात्ता द्वारा कार्य सम्पादन हेतु विश्वविद्यालय में उपलब्ध करवाये गये मानव संसाधन को विश्वविद्यालय ने अपने स्तर पर नियुक्त नहीं किया है अतः वांछित सूचना विश्वविद्यालय अभिलेखों का भाग नहीं है शेष वांछित सूचना के संबध में कुल 5 पृष्ठ सलंग्न है।

अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर से असंतुष्ट होकर यह प्रथम अपील प्रस्तुत की है जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। अपीलार्थी को दिनांक 12.11.2014 को नोटिस प्रेषित कर आगामी सुनवाई दिनांक 24.11.2014 को व्यक्तिशः उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत करने का विकल्प दिया गया। दिनांक 24.11.2014 को अपीलार्थी स्वयं एंव लोक सूचना अधिकारी डॉ. राकेश राव व्यक्तिशः उपस्थित हुए। प्रकरण में अन्तिम बहस सुनी गयी। अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान निम्नांकित तर्क प्रस्तुत किए गए :–

(A) लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे पूरी सूचना नहीं दी गयी।

(B) उसके द्वारा एजेन्सी की सूचना चाही गयी है जो विश्वविद्यालय के अभिलेखों में उपलब्ध है लेकिन जानबूझकर सूचना नहीं दी गयी।

(C) ऐजेन्सी द्वारा लगाए गए कार्मियों के नाम मॉगे गए है वह भी नहीं उपलब्ध करवाए। बिना नाम रिकॉर्ड में हुए ऐजेन्सी द्वारा लगाए गए कार्मियों को अनुभव प्रमाण–पत्र कैसे जारी किया जाता है।

(D) पी.एफ. के नम्बर व रजिस्ट्रेशन नम्बर नहीं दिए गए जबकि यह सूचना विश्वविद्यालय में उपलब्ध होती है।

(E) भुगतान के बिलों की प्रति चाही गयी लेकिन प्रति उपलब्ध नहीं करवायी गयी। भुगतान किस प्रकार होता है।

(F) यदि नाम संधारित नहीं होते तो उसे किस आधार पर ऐजेन्सी द्वारा नियुक्त होना बताया गया है ?

इसके विपरीत लोक सूचना अधिकारी द्वारा यह निम्न तर्क प्रस्तुत किए गए :–

(1) अपीलार्थी को वांछित सूचना के संबंध में नियमानुसार अभिलेखों में उपलब्ध सूचना अनुसार दस्तावेज उपलब्ध करवा दिए गए है।

Contd.

(2) जो दस्तावेज/सूचना अभिलेखों में नहीं है वह उपलब्ध नहीं करवायी जा सकती क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम अनुसार लोक सूचना अधिकारी अपने नियंत्रणाधीन अभिलेखों में से ही सूचना उपलब्ध करवाने हेतु उत्तरदायी है।

(3) अपीलार्थी ने विश्वविद्यालय में सेवा प्रदात्ता ऐजेन्सी के माध्यम से कार्यरत मानव संसाधन एवं सेवा प्रदात्ता ऐजेन्सी के संबंध मे सूचनाएं वांछित की है। विश्वविद्यालय मे सेवा प्रदात्ता ऐजेन्सी द्वारा उपलब्ध करवाया गया मानव संसाधन विश्वविद्यालय के कार्मिक नहीं है न तो उनकी उपस्थिति विश्वविद्यालय में दर्ज होती है न ही विश्वविद्यालय द्वारा उन्हे सीधे कोई भुगतान करता है। विश्वविद्यालययय की संविदा सेवा प्रदात्ता से होती है। इस कारण सेवा प्रदात्ता द्वारा उपलब्ध करवाए मानव संसाधन की उपस्थिति, तथा ऐसे कार्मिक को भुगतान इत्यादि का अभिलेख संधारित नहीं होता।

(4) अनुभव प्रमाण–पत्र जारी किए जाने हेतु विश्वविद्यालय अभिलेख में नाम होना आवश्यक नहीं होता अर्थात् यह आवश्यक नहीं है कि जिसे अनुभव प्रमाण–पत्र दिया गया है वह विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त नियमित कार्मिक ही हो। अनुभव प्रमाण–पत्र संबधित व्यक्ति जिसके लिए यह जारी किया गया है उसके कार्य अनुभव को दर्शित करता है। यदि विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी ने सेवा–प्रदात्ता द्वारा उपलब्ध करवाये गये मानव संसाधन के कार्य को प्रमाणित किया है तो वह इस आधार पर लिया गया है कि कार्मिक द्वारा उस अधिकारी के अधीन सेवा प्रदात्ता के माध्यम से कार्य किया है। अनुभव प्रमाण पत्र में वर्णित प्रविष्टियों के आधार पर यह दस्तावेज नितांत व्यक्तिगत श्रेणी का दस्तावेज होता है। अतः इसकी प्रति प्राप्त करने का अधिकार भी उसी व्यक्ति को होता है जिसके लिए यह जारी किया गया है न कि पर व्यक्ति (Third party) को।

(5) अपीलार्थी ने अपील के आधार के स्थान पर श्रीमान से प्रश्न किए गए है अतः अपील खारिज किए जाने योग्य है।

मैनें बहस के दौरान उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों, सूचना प्राप्ति हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तथा लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्युतर एवं अपील प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी,राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के समक्ष सूचना प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 22.08.2014 के बिन्दु संख्या 1 से 3 में वर्णित विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यालयों/इकाईयों के संबंध में बिन्दु संख्या 3 से 8 में वर्णित सूचनाएं चाही है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निपटारा निम्नानुसार किया जाता है :–

बिन्दु संख्या :– 1 अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र दिनांक 22.08.2014 के बिन्दु संख्या 3 में स्वनिर्मित विशिष्ट प्रारूप वर्णित कर प्रारूप में वर्णित कॉलमों के संबंध में सूचना चाही है। इसके प्रत्युत्तर में लोक सूचना अधिकारी द्वारा यह प्रत्युत्तर दिया गया है कि वर्णित किए गए प्रारूप में तथा प्रारूप के कॉलमों में वर्णित की गई विषय–वस्तु के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा संधारित अभिलेखों में सूचना संधारित नहीं की जाती। अपीलार्थी को बिन्दु संख्या 3 में वर्णित प्रारूप के कॉलम 1 से 7 के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं करवाने का स्पष्ट कारण दर्शित किया है। इस

Contd.

संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (9) में निम्न प्रावधान किया गया है :

धारा 7 (9) किसी सूचना को साधारणतः उसी प्ररूप में उपलब्ध करवाया जायेगा, जिसमें उसे मांगा गया है, जब तक कि वह लोक प्राधिकारी के स्त्रोतो को अननुपाती रूप से विचलित न करता हो या प्रश्नगत अभिलेख की सुरक्षा या संरक्षण के प्रतिकूल न हो।

धारा 7 (9) में वर्णित प्रावधान के अवलोकन से स्पष्ट है कि सूचना प्राप्तकर्ता द्वारा यदि किसी प्रारूप विशेष में सूचना चाही जाती है तो लोक सूचना अधिकारी उस प्रारूप विशेष में सूचना उपलब्ध करवाने हेतु बाध्य नहीं है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को अवगत करवा दिया गया था कि जिस प्रारूप में उसके द्वारा सूचना चाही है उस स्वरूप में सूचना नहीं संधारित की जाती है अतः मेरे मत में बिन्दु संख्या 3 के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्युतर पूर्णतः विधि सम्मत है।

बिन्दु संख्या :– 4 अपीलार्थी द्वारा बिन्दु संख्या 4 में वर्णित सूचना के संबंध में अपीलार्थी को 07 पृष्ठ उपलब्ध करवाए गए है। इन सात पृष्ठों में वर्णित विषय वस्तु के आधार पर अपीलार्थी ने पत्र क्रमांक एफ.2()/राजूवास/सी/क्रय/158 दिनांक 06.12.2010 एवं एफ.2/राजूवास/सी/2010–11/270–276 दिनांक 29.01.2011 तथा क्रमांक एफ.2 (1–टी)राजूवास/सी/2013–14/38 दिनांक 04.05.2013 एवं एफ.2 (1–टी)/ राजूवास/सी/2013–14/205–210 दिनांक 28.06.2013 की प्रति चाही है। यद्यपि अपीलार्थी ने सूचना प्राप्ति हेतु प्रस्तुत पत्र में इन दस्तावेजों की मांग नहीं की है। लेकिन लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध करवाए गए दस्तावेजों में अपील के इस बिन्दु में वांछित किए गए दस्तावेजों का हवाला है। अतः मेरे मत में अपीलार्थी अपील प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 4 में वर्णित दस्तावेज की प्रतियॉ अपीलार्थी निःशुल्क प्राप्त करने का अधिकारी है।

बिन्दु संख्या :– 5 सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2 (J) में "सूचना का अधिकार" शब्द को पारिभाषित किया गया है जिससे दस्तावेज या अभिलेखों के टिप्पणी (Notes) उद्धरण (Extracts) की प्रमाणित प्रति (Certified Copy) प्राप्त करने का अधिकार शामिल है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को स्पष्टतः अवगत करवाया गया है कि उक्त दस्तावेजों का मूल रिकॉर्ड विश्वविद्यालय अभिलेख में उपलब्ध नहीं है तथा वांछित दस्तावेज किसी अन्य कार्यालय से जारी हुए है। अतः बिना मूल अभिलेख के दस्तावेज प्रमाणित प्रति नहीं की जा सकती। मेरे मत में बिन्दु संख्या 5 के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्युतर पूर्णतः विधि सम्मत है।

बिन्दु संख्या :– 6 बिन्दु संख्या 6 से चाही गई सूचना बिन्दु संख्या 5 से चाही गयी सूचना के समान ही है अतः पृथक् से विवेचन किए जाने की आवश्यकता नहीं है। बिन्दु संख्या 6 के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही पूर्णतः विधि सम्मत है।

Contd.

बिन्दु संख्या :– 7 अपीलार्थी द्वारा इस बिन्दु में कुलपति सचिवालय, कुलसचिव, वित्तनियंत्रक, अधिष्ठाता, निदेशक–कार्य, पशुधन अनुसंधान केन्द्र, चांदन में मैसर्स सलीम राजू, भुटटों का बास, बीकानेर द्वारा कार्यरत विश्वविद्यालय के उक्त कार्यालय द्वारा स्वीकृत पदों पर कार्मिकों को कार्य सम्पादन के संबंध में प्रार्थना पत्र में वर्णित सूचना चाही है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा स्पष्टतः अपीलार्थी को सूचित किया गया है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित किए गए विश्वविद्यालय के कार्यालय स्वयं पद स्वीकृत करने हेतु सक्षम नहीं है। चूंकि इन कार्यालयो द्वारा ऐसा कोई पद स्वीकृत ही नहीं किया गया है तो उन पर सेवा प्रदात्ता एजेंसी के माध्यम से कोई कार्मिक कार्यरत होने का प्रश्न भी नहीं उत्पन्न होता है इससे स्पष्ट है कि जब पद ही स्वीकृत नहीं है तो इससे संबंधित कोई सूचना विश्वविद्यालय अभिलेखों का भाग नहीं हो सकती। इसके अलावा लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के समक्ष यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि विश्वविद्यालय में स्वीकृत पदों पर सेवा प्रदात्ता एजेंसी के माध्यम से कोई कार्मिक कार्यरत नहीं है। मैनें लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 06.08.2013 का ससम्मान अवलोकन किया। मेरे मत में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय बिन्दु संख्या 7 से वांछित सूचना के संबंध में पूर्णतः प्रासंगिक है। इसके अलावा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्युतर की विवेचना किए जाने के स्थान पर प्रथम अपील अधिकारी से प्रश्न किए गए है जिन्हे अपील के आधार नहीं माना जा सकता है। अतः लोक सूचना अधिकारी द्वारा बिन्दु संख्या 7 के संबंध में प्रेषित प्रत्युतर पूर्णतः विधि सम्मत है।

बिन्दु संख्या :– 8 बिन्दु संख्या 8 से वांछित सूचना के क्रम में लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को यह स्पष्ट रूप से अवगत करवाया गया है कि सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध करवाए गए मानव संसाधन को विश्वविद्यालय ने अपने स्तर पर नियुक्त नहीं किया है। जब विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्ति ही नहीं की गई है तो उससे संबंधित रिकॉर्ड विश्वविद्यालय अभिलेखों मे उपलब्ध नहीं हो सकता। अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित आधार में यह सिद्ध नहीं किया है कि ऐसा कोई आदेश विश्वविद्यालय ने जारी किया है अतः लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्युतर पर संदेह किए जाने का कोई आधार नहीं है। अपील प्रार्थना पत्र में वर्णित इस बिन्दु में अपीलार्थी ने जिन दस्तावेज की मॉग की है उसका उल्लेख सूचना प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में नहीं है जबकि अपील मूल प्रार्थना पत्र की हद तक सुनी जा सकती है। अपील प्रार्थना पत्र में नई सूचनाओं की मांग नहीं की जा सकती। इस हेतु अपीलार्थी धारा 6 के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी के समक्ष सूचना प्राप्ति हेतु नियमानुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है। अतः बिन्दु सं. 8 के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही पूर्णतः विधि सम्मत् है।

अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर यह आदेशित किया जाता है कि अपील प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दु संख्या 4 के आधार में अंकित दस्तावेज/आदेश की प्रमाणित प्रतियां 30 दिवस में अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध करवाई जावे शेष बिन्दुओं के संबंध में

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील बलहीन एवं आधारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। निर्णय खुले चैम्बर में सुनाया गया। निर्णय की प्रति पालना हेतु संबंधित पक्ष को प्रेषित की जावे।

(ए.के. गहलोत)
कुलपति
एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी,
राजूवास, बीकानेर

Registrar
Rajasthan University of
Veterinary And Animal Sciences
BIKANER